बिहार सरकार

बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

जिला	पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई, लखीसराय एवं सारण

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0– 3661–3662/2020 में दिनांक– 10.11.2021 को पारित आदेश के आलोक में बिहार राज्यान्तर्गत विभिन्न जिलों में अवस्थित नदियों के बालूघाटों/कलस्टरों को बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लि0 के माध्यम से संचालन हेतु संवेदक चयन के लिए नीलामी के कागजात।

बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड खनिज समानुदान धारक **(Mineral Concession Holder)** होगा तथा खनन् नियम एवं शर्तो के तहत कलस्टर/बालूघाटों से बालू का खनन्/प्रेषण हेतु ठेकेदार/ संवेदक का चयन करेगा।

ई–प्रोक्योरमेंट मोड

https://www.eproc2.bihar.gov.in

Bihar State Mining Corporation Limited

Short Notice Inviting Re E-Auction

(Through E-Procurement mode over https://www.eproc2.bihar.gov.in)

Bihar State Mining Corporation Ltd.

(Government of Bihar Undertaking)

Room No.164, Vikas Bhawan (New Secretariat), Bailey Road,Patna - 800015

CIN:-U10300BR2017SGC035811

Email:bih.minescorp@gmail.com

Website: www.bsmcl.in

Ref. No. 07/21-22 Date :- 18.01.2022

Short Notice Inviting Re-tender

Notice inviting Re-tender for selection of Contractors for Bihar State Mining Corporation Limited, Patna for operation of sand ghats/clusters, where single or no bidder participated in previous Re-tender vide NIT No.- 06/2021-22 dated 29.12.2021 published on 29.11.2021 in different news paper, (PR No.- 10991 (Mines) 2021-22) situated in different districts of Bihar.

Sl. No.	Information	Details
1	Name of the Organization	Bihar State Mining Corporation Limited
2	Name of the Assignment	Selection of Contractors for operation of Sand Ghats
3	Tender Processing Fee/Cost (Non-Refundable)	INR 590/3540/5900 (Inclusive of GST) payable online through e-payment mode i.e. NEFT/RTGS/Credit Card/Debit Card on https://eproc2.bihar. Gov.in site. Up to 70 lacs- INR 590/- 70 lacs - 3 Crores - 3540/- >3Crore - 5900/-
4	Tender Fee/Cost (Non- Refundable)	INR 29,500 (Inclusive of GST) (Rupees Twenty Nine thousand and Five hundred only) payable online through e-payment mode i.e. NEFT/RTGS/Credit Card/Debit Card on https://eproc2.bihar.gov.in Site
5	Date of issue of NIT	18/01/2022
6	Date of issue of tender document	20/01/2022
7	Last Date of submission of bid	27/01/2022 at 01:00 PM
8	Date and Time of opening of Technical Bid	27/01/2022 at 03:00 PM

9	Uploading of names of successful bidders	29/01/2022
10	Date and Time of e-Auction	Date:- 31/01/2022, 01/02/2022, 02/02/2022 Time- 11:00 AM to 01:00 PM & From 02:00 PM to 04:00 PM Aurangabad, Rohtas, Bhojpur, Patna, Lakhisarai, Jamui, Gaya & Saran
11	Contact person for queries	Administrative Officer Bihar State Mining Corporation Limited email : bih.minescorp@gmail.com
12	Addressee and address at which Hard Copy of proposal in response to RFP notice is to be submitted.	Administrative Officer Bihar State Mining Corporation Limited, Vikas Bhawan (New Secretariat), Bailey Road, Patna-800015

1. Detailed descriptions of the item and instructions for submitting offer can be downloaded from e-tender website (https://www.eproc2.bihar.gov.in)
2. For support related to e-tendering process, bidders may contact at "eProc 2.0 Help Desk Address: mjunction services limited RJ Complex, 2nd Floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiana Road, P.S. - Shastri Nagar, Patna 800 014, Bihar. Toll Free Number: 1800 572 6571 or may visit https://www.eproc2.bihar.gov.in.
3. Bidder should be registered on e-Procurement portal (www.eproc2.bihar.gov.in) and have the Class III Digital Signature Certificate (DSC) with signing + Encryption and User-id of the e-Procurement website (https://www.eproc2.bihar.gov.in) before participating in the e-Tendering process.
4. The Managing Director, Bihar State Mining Corporation Limited reserves the right to reject or cancel the tender or any part thereof without assigning any reasons thereof.
5. Corrigendum / Addendum, if any, will be published on the website of the Corporation www.bsmcl.in / https://state.bihar.gov.in/mines and e-Procurement, Bihar https://www.eproc2.bihar.gov.in itself.
6. This NIT is being published in the light of the order dated 10.11.2021 passed by the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 3661-3662/2020.
7. To participate in the re-tender to the previous Re-tender of NIT No.- 06/2021-22 dated 29.12.2021 (PR No.- 10991 (mines) 2021-22) one will have to apply afresh.

18.01.2022
General Manager
BSMC Ltd, Patna

निविदा दस्तावेज

(1) परिभाषा एवं व्याखा :

(i) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, खान एवं खनिज (विकास तथा निनियमन) अधिनियम 1957 (1957 का 67) ;

(ii) "नियम" से अभिप्रेत है, बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019.

(iii) 'लेखा वर्ष से तात्पर्य. वित्तीय वर्ष से है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है तथा अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है।

(iv) 'निविदा दस्तावेज' से तात्पर्य, (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 तथा उनके अंतर्गत निष्पादित समस्त दस्तावेज, ई–निविदा आमंत्रण सूचना, ई–निविदा प्रपत्र एवं उसमें संलग्न/प्रदत्त दस्तावेज से है;

(v) 'ठेके की अवधि' से निविदा दस्तावेज में अंकित अवधि के अनुरूप होगी ;

(vi) 'लागू अधिनियम' से तात्पर्य वे कानून है जो राज्य शासन या केन्द्र सरकार द्वारा प्रसारित किये गये हो तथा लागू एवं प्रभावशील हो। इन कानूनों में इनके अंतर्गत बनाए गए नियम, विनियम तथा अधिसूचना और न्यायालय के निर्णय भी सम्मिलित हैं ;

(vii) "निगम" से अभिप्रेत है बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लि0 ;

(viii) "संवेदक" से अभिप्रेत है कि कोई व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संगठन या निकाय, जो निगम के अनुबंध के अधीन निगम के लिए कार्य करता हो, वह ठेकेदार/संवेदक माना जाएगा जो कि अनुबंध निष्पादित कर अनुबंध की शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा ;

(ix) 'पक्षों' से तात्पर्य अनुबंध निष्पादित करने वाले दोनों पक्षों से हैं। पक्ष का तात्पर्य अनुबंध निष्पादित करने वाले किसी भी एक पक्ष से है ;

(x) 'अधिकृत हस्ताक्षरी' से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा जिसे कंपनी के संचालक मंडल द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से साझेदारी/फर्म/एलएलपी में समस्त साझेदारों/मैनेजिंग पार्टनर द्वारा लिखित एवं संयुक्त रूप से सोसाइटी में उसके अध्यक्ष द्वारा कंपनी/साझेदारी फर्म/एलएलपी/सोसाइटी की ओर से निविदा संबंधी दस्तावेज हस्ताक्षरित करने हेतु अधिकृत किया गया हो एवं जिसके पक्ष में अधिकार पत्र निष्पादित किया गया हो ;

(xi) 'अनुबंधित राशि' से तात्पर्य है, डाक में बोली गयी उच्चतम राशि में यथा विहित ;

व्याख्या – जहाँ भी प्रसंगवश अथवा अपेक्षा हो उसे छोड़कर इस अनुबंध में :

(i) एक लिंग दर्शाने वाले शब्दों में सभी लिंग सम्मिलित है।

(ii) एक वचन दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन भी सम्मिलित है तथा बहुवचन दर्शाने वाले शब्दों में एक वचन भी सम्मिलित है।

(iii) अनुबंध में प्रयुक्त शब्दों 'सहमत' "सहमत हुआ" या अनुबंध से लिखित में अनुबंध करने की अपेक्षा है।

(iv) "लिखित" से तात्पर्य, हस्तालिखित, टंकित, मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक मोड से है जिसके परिणाम स्वरूप स्थायी अभिलेख तैयार हो सके।

(2) नीलामी में सम्मिलित बालूघाटों की विवरणी : क्लस्टर/बालूघाटों की विवरणी अक्षांश–देशान्तर रकवा, सुरक्षित जमा, खनन योग्य बालू खनिज के साथ अन्य सूचना संलग्न (अनुलग्नक–2)

(3) संवेदकों के पंजीयन की प्रक्रिया :–

1. ई–ऑक्शन प्रकिया में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.eproc2.bihar.gov.in में सर्वप्रथम पंजीरान कराना अनिवार्य होगा। यदि बोलीदार द्वारा पूर्व में ई–ऑक्शन में भाग लेने हेतु पंजीयन कराया जा चुका हो, तो पुनः पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। संभावित बोलीदाताओं को नीलामी में भाग लेने हेतु एक वैध श्रेणी–III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) एवं यूजर आई0डी0 प्राप्त करना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु संबंधित बोलीदाता के पास एक वैध ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाईल नम्बर होना अनिवार्य है।
2. ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.eproc2.bihar.gov.in पर पंजीयन लिंक के द्वारा पंजीयन की प्रक्रिया सर्वप्रथम पूरी करनी होगी। पंजीयन पर क्लिक करने पर एक नई ऑनलाईन प्रपत्र में दर्शाये गये विवरण को दर्ज करना होगा। सम्पूर्ण विवरण दर्ज करने के पश्चात आपको निगम एवं शर्तो को स्वीकार करना होगा तथा विंडों में दर्शित **CAPTCHA** को दर्ज कर अपना पंजीयन कराना होगा। सारे विवरण दर्ज करने के बाद संबंधित दस्तावेज के साथ पंजीयन शुल्क के साथ भुगतान इसी प्रक्रिया में किया जाना होगा। पजीयन शुल्क केवल ऑन–लाईन माध्यम से स्वीकार किया जायेगा, जो https://www.eproc2.bihar.gov.in पोर्टल के माध्यम भुगतान करना होगा।
3. इस प्रक्रिया को पूर्ण करने पर पोर्टल के विडों पर आपके द्वारा किया गया पंजीयन सफलतापूर्वक किया गया है, इसका संदेश प्राप्त होगा। यदि आवश्यकता हो तो संबंधित प्रपत्र का प्रिंट आउट भी प्राप्त कर सकते हैं तथा इसकी वैद्यता एक वर्ष के लिए होगा।
4. उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत आपको यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। इस यूजर आई0डी0, पासवर्ड एवं स्वयं के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए नीलामी की प्रक्रिया में भाग लें सकेंगे।

(4) ई–ऑक्शन की प्रक्रिया :–

1. नीलामी की सूचना में दर्शित समय के पूर्व इच्छुक व्यक्ति को https://www.eproc2.bihar.gov.in पोर्टल में पंजीयन के समय प्राप्त यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करके प्रविष्टि करना होगा।
2. पोर्टल में प्रविष्टि के उपरांत एक्टिविटी विंडों में क्लिक करना होगा। इस विंडों में क्लिक के उपरांत आपको ऑक्शन का चयन करना होगा।
3. निविदादाता को यह स्वयं सुनिश्चित होना है कि उनका वार्षिक 3 वर्षों का औसत वार्षिक टर्न ओवर जिस बालूघाट के लिए निविदा दी जा रही हो, उसकी सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
4. अग्रधन एवं आवेदन शुल्क सफलता पूर्वक जमा करने के पश्चात् बोलीदाता बेल्ट्रॉन द्वारा प्रदान किये गये यूजर आई0डी0 का उपयोग करते हुए लॉगिन करेंगे एवं भुगतान रसीद/UTR के साक्ष्य के साथ सभी वांछित कागजात अपलोड करेंगे।
5. निविदादाता द्वारा आवश्यक दस्तावेज निर्धारित स्थान/pop-up/ पर ही अपलोड करेंगे। किन्हीं अन्य स्लॉट/पॉप अप पर दस्तावेज अपलोड करने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी। Other Document में पूर्व का अनुभव, अन्य विशिष्टियाँ आदी upload किया जा सकता है।
6. तकनीकी निविदा के लिए निम्नांकित कागजात दिया जाना होगा :–

(क) निविदा के शर्त्तों एवं बंधेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर के साथ हस्ताक्षर।

(ख) अग्रधन की राशि निविदादाता के बैंक खाता के माध्यम से Online जमा की जा सकती है। साक्ष्य के रूप में संबंधित बैंक का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

(ग) पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित फोटोप्रति।

(घ) शपथ पत्र/घोषणा पत्र– निविदादाता को एक ही शपथ पत्र (अनुलग्नक–4) देना होगा, जिसमें उल्लेख होगा कि –

(i) पूर्व में कोई बन्दोबस्ती/पट्टा/अनुज्ञप्ति लिये हों तो उनके विरूद्ध बिहार के किसी भी जिले का कोई खनन का बकाया नहीं है।

(ii) जी0एस0टी0 निबंधन नही रहने पर एक माह के अन्दर निबंधन करा लेगें।

(iii) विभाग के पूर्व के नीलामी में उच्चतम डाकवक्ता घोषित होने के बाद आगे की कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण नीलामी को रद्द करते हुए अग्रधन/प्रतिभूति राशि जप्त नहीं की गई है।

(iv) यदि खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के या अन्य संबंधित विभागों/प्राधिकारों के किसी भी नियमों एवं निर्देश के उल्लंघन की स्थिति में दंड अधिरोपित किये जाने की स्थिति में उसका भुगतान किया जाएगा।

(v) निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व समूह में सम्मिलित बालूघाटों का मौके पर निरीक्षण कर लिया है एवं बालूघाटों के सभी सुसंगत पहलुओं जैसे कि पहुंच मार्ग, खदानों में उपलब्ध खनिज की मात्रा आदि का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लियें हैं। पहुंच मार्ग से संबंधित समस्याओं का समाधान अपने खर्चा पर स्वयं करूँगा एवं इसमें किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में निगम से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करूँगा।

(vi) निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही औपचारिकताओं की पूर्ति करके बालूघाटों का संचालन किया जाएगा, तथा निर्धारित समय–सीमा अन्तर्गत देय/नीलामी राशि का भुगतान किया जाएगा।

(vii) बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन्, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथासंशोधित, 2021 का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया हूँ एवं उनका पालन सावधानी पूर्वक करूँगा।

(viii) अनुबंध के निष्पादन करने के लिए अपेक्षित Stamp duty and Registration fee का वहन मेरे द्वारा किया जाएगा।

(ix) मेरी फर्म/पार्टनरशिप फर्म/एलएलपी/कंपनी/सोसायटी/दिवालिया/काली सूची में दर्ज नहीं है।

(x) शपथ की घोषणाएँ मेरे उपर पूर्णरूपेण लागू होगी।

(xi) यदि अनुबंध के निष्पादन पूर्व अथवा पश्चात में किसी भी समय यह आलोक में आता है कि मेरे पास निविदा प्रस्तुत करने हेतु वांछनीय अर्हता नहीं है तो मुझे आयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि मेरे/हमारे द्वारा गलत बयानी या गलत जानकारी के आधार पर ठेका प्राप्त कर लिया गया है तो मेरा/हमारा ठेका निरस्त हो जाएगा। यदि मेरे/हमारे पक्ष में आशय पत्र जारी किया जा चुका हो या मेरे/हमारे द्वारा अनुबंध निष्पादित कर दिया गया हो तो गलत बयानी गलत जानकारी के लिए लिखित में सूचना द्वारा मेरा/हमारा कार्यादेश/अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। ऐसे निरस्तीकरण के फलस्वरूप मेरी/हमारी प्रतिभूति राशि एवं अन्य राशि जप्त की जा सकती है तथा लागू विधियों या प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कोई अन्य कार्यवाही करने का अधिकार भी होगा। निरस्तीकरण के कारण मुझको/हमको हुई किसी भी हानि के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

(xii) सौंपे गये कार्यों को निर्धारित नियमों एवे निदेश के अनुरूप करूँगा। मेरे द्वारा किसी भी निर्धारित शर्त/बंधेज/नियमों/निदेश का उल्लंघन करने पर यदि निगम पर कोई दंड अधिरोपित किया जाता है, तो उसका भुगतान मेरे द्वारा ससमय किया जाएगा।

(xiii) मेरे विरुद्ध संज्ञेय अपराध का कोई मुकदमा दर्ज नही है और न ही मैं ऐसे किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हूँ।

(च) आचरण प्रमाण–पत्र–जिलापदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन एवं वैध आचरण प्रमाण–पत्र।

(छ) फर्म/प्राईवेट लि० कम्पनी के मामले में अद्यतन लेखा (Balance sheet)।

(ज) समिति के मामले मे अंकेक्षण रिपोर्ट।

(झ) **Chartered Accountant** द्वारा सत्यापित् वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के **Annual accounts (Profit and loss** सहित) की प्रति (व्यक्ति विशेष के मामले में जिनका टर्नओवर प्रति वित्तीय वर्ष 2 करोड़ या उससे कम हो एवं शुद्ध मुनाफा की गणना 8% या उससे अधिक की गई हो के मामलें में chartered Accountant से Books of Account (Profit & Loss सहित) को सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं होगी)।

(ट) वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 का आयकर रिटर्न (Assessment Year के अनुसार नहीं)।

(ठ) मेमोरेण्डम/आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन/उप नियम। (व्यक्ति विशेष को छोड़कर अन्य मामले में)

(ड) साझेदारी के मामले में साझेदारी संलेख का स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(ढ) स्वअभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज फोटों।

(त) आवेदक के बैंक खाता का तीन माह का बैंक स्टेटमेंट एवं आवेदन की तिथि को पर्याप्त बैंक बैलेंस।

7. सभी वांछित कागजातों को अपलोड करने के पश्चात् गठित तकनीकी समिति द्वारा दस्तावेजों की जाँच की जायेगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता को ही वित्तीय निविदा में भाग लेने हेतु स्वीकृति दी जायेगी।

8. निविदादाता को अपलोड किये गये निविदा कागजातों की हार्ड कॉपी सभी कागजात पर मोहर एवं हस्ताक्षर के साथ (सूची–पेज नंबर किया हुआ, फ्लैग सहित, स्पायरल बाईन्डिग के साथ) निविदा समर्पित करने के अंतिम तिथि को अपराह्न 05:30 बजे तक बंद लिफाफा पर निविदादाता का नाम, बालूघाट का नाम एवं जिला लिखा हुआ निगम कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। निविदादाता द्वारा ऑनलाईन अपलोड किये निविदा कागजातों को ही गठित तकनीकि समिति द्वारा जाँच की जाएगी।

9. ऑक्शन मोड के चयन के उपरांत आपको संबंधित सम्पदा (ऑक्शन ब्लॉक) का चयन करना होगा, जिसके उपरान्त नीलामी में प्रदर्शित सम्पदाओं की सूची विंडों में प्रदर्शित होगी। निविदादाता को बोली लगाने हेतु अगली बोली की सीमा निम्नवत निर्धारित है :–

क्र0	सुरक्षित जमा	बोली की बढ़ोत्तरी राशि
1.	25 लाख तक	2.5 लाख
2.	50 लाख तक	05 लाख
3.	01 करोड़ तक	10 लाख
4.	05 करोड़ तक	25 लाख
5.	05 करोड़ से अधिक	50 लाख

नोट :– 05 लाख तक के सुरक्षित जमा राशि वाले बालूघाटों के संवेदक चयन के लिए अगली बोली हेतु बढ़ोतरी राशि, उस बालूघाट के सुरक्षित जमा राशि का, 10 (दस) प्रतिशत होगी, किन्तु न्यूनतम रू0 0.25 लाख (पचीस हजार रू0) से कम नही होगी।

10. प्रत्येक बोलीदाता के कम्प्यूटर विंडों पर अन्य बोलीदाताओं की सर्वोच्च बोली ही प्रदर्शित होगी। बोलीदाता के नाम तथा पहचान पूर्णतः गोपनीय होगी।

11. आवश्यकता पड़ने पर ऑन–लाईन ई–ऑक्शन प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात, किन्तु ई–ऑक्शन की अंतिम तिथि/समय के पूर्व भी शुद्धिकरण के माध्यम से समय वृद्धि की जा सकती है, जो मात्र ऑन–लाईन प्रदर्शित होगी https://www.eproc2.bihar.gov.in

12. सफलतम बोलीकर्ता को स्वचलित सिस्टम द्वारा ई–मेल के माध्यम से उच्चतम बोलीकर्ता होने की सूचना दी जाएगी।

13. बोली लगाते समय सभी आई0टी0 संसाधनों एवं उपकरणो के सुचारू रूप से कार्य करने संबंधी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से बोलीदाता की होगी। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या एवं इन्टरनेट विच्छेद संबंधी मामलो में बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन का कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस कारण से हुई क्षति के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होंगे। निविदादाता को कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट से संबंधित सक्षम क्षमता/विशिष्टताओं के उपकरणों की सुचारू रूप से व्यवस्था रखना बोलीदाता की जवाबदेही होगी।

14. सभी निविदादाता ई–नीलामी से संबंधित अपने सभी आई0टी0 संसाधनो एवं उपकरणों की समुचित जाँच कर निर्धारित नीलामी कार्यक्रम में भाग लेना सुनिश्चित करें।

15. ई–नीलामी संबंधित विवरणी एवं नियम–शर्त्तो की जानकारी e-Procurement Portal https://www.eproc2.bihar.gov.in, http://www.bsmcl.in and https://state.bihar.gov.in/mines/CitizenHome.html पर प्राप्त कर सकते हैं।

16. Auction processing fees and Auction Tender fee non-refundable होगा। अतः इस संबंध में राशि वापसी से संबंधित किसी भी प्रकार के अनुरोध अथवा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

17. सभी इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ई–नीलामी हेतु पंजीकरण कराने एवं ऑन–लाईन आवेदन करने से पूर्व नियम एवं शर्त्तो को अच्छी तरह से पढ़ ले। आवेदन करने के बाद यह माना जायेगा कि बोलीदाताओं द्वारा नियमों एवं शर्त्तो को ध्यान से पढ़ लिया गया है तथा सभी नियम एवं शर्त्त उनको मान्य है। बाद में इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति अस्वीकार होगी।

18. ई–नीलामी की प्रक्रिया के तहत बोलीदाताओ द्वारा यदि किसी प्रकार की अनियमितता अथवा भ्रष्ट आचरण का प्रमाण पाया जाता है, तो उन्हें उच्चतम डाकवक्ता घोषित होने के बावजूद भी उनके डाक को रद्द कर जमा राशि को जप्त कर लिया जाएगा एवं अगले पाँच वर्ष के लिए नीलामी में भाग लेने से वंचित करते हुए काली–सूची में डाल दिया जाएगा।

19. निविदादाता द्वारा निविदा में उच्चतम बोली लगाकर प्रतिभूति राशि (उच्चतम डाक की राशि का 25 प्रतिशत एवं अग्रधन राशि को समायोजित करके) नीलामी/किस्त राशि, अन्य कर नीलामी की तिथि से 04 कार्य दिवस में जमा नहीं करते है, तो वैसे निविदादाता का जमा अग्रधन राशि को जप्त करते हुए काली सूची में डाल दिया जाएगा एवं आगामी पाँच वर्षों के लिए निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

20. निविदादाता को ई–मेल/वेबसाईट के माध्यम से दी गई सूचना को IT act के तहत Deemed notice समझा जाएगा।

21. इस संबंध में अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें :–

कम संख्या	विषय	सम्पर्क स्थान एवं दूरभाष संख्या (10:30 AM – 4:30 PM)
1.	ई–नीलामी कार्यक्रम	1. खनिज विकास पदाधिकारी (मु0), मो.–9431289921 2. खनिज विकास पदाधिकारी (मु0), मो.–7352036380 3. खनिज विकास पदाधिकारी (मु0), मो.–9525873953 4. आई0टी0 मैनेजर, मो0 नं0–8102218410
2.	पंजीयन की प्रक्रिया/ तकनीकी सहायता	**Toll Free No. 1800 572 6571,** **Email Id: - eproc2support@bihar.gov.in** **mjunction services limited,** **RJ Complex, 2nd Floor,** **Canara Bank Campus, Khajpura,** **Ashiana Road,** **P.S. - Shashtri Nagar,** **Patna- 800014**

....
....

****

बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन।

पटना

निविदा दस्तावेज

बालूघाट/कलस्टर की संचालन की अवधि :— माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के सिविल अपील सं0— 3661—3662/2020 में दिनांक— 10.11.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में माननीय उच्चतम न्यायालय के अगले आदेश या दिनांक— 31.03.2022, जो भी पहले हो, तक होगी।

बालूघाटों/क्लस्टरों के संचालन के लिए शर्त्त एवं बंधेज।

आठ जिलों यथाः— पटना, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, सारण, जमुई एवं लखीसराय में अवस्थित सोन, फल्गू, मोरहर, किउल, एवं चानन नदियों के बालूघाटों के मामले में अधिकतम 02 बालूघाट/क्लस्टर अथवा अधिकतम क्षेत्रफल 200Ha. को ई—नीलामी के माध्यम से एक उच्चतम बोलीकर्त्ता को संचालन हेतु दिया जायेगा। अन्य नदियों के मामले में यह शर्त्त एवं बंधेज लागू नहीं है।

1. ऑफर (Offer) देने की तिथि एवं समय :—

इच्छुक व्यक्ति/समिति/फर्म/कम्पनी/सहकारी संस्था से क्लस्टर की उपर्युक्त अवधि के लिए बालू खनन्/प्रेषण हेतु ऑनलाईन ई—प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.eproc2.bihar.gov.in, माध्यम से NIT के अनुसार आमंत्रित की जाती है।

निविदा दस्तावेज में निम्नांकित विवरण हैः—

(क) निविदा के शर्त्त एवं बंधेज (अनुलग्नक 1)

(ख) बालूघाट/क्लस्टर की विवरणी (अनुलग्नक 2)

(ग) तकनीकी निविदा का प्रपत्र (अनुलग्नक 3)

(घ) शपथ/घोषणा—पत्र (अनुलग्नक 4)—ऑनलाईन एवं हार्ड कॉपी

2. तकनीकी निविदा के लिए निम्नांकित कागजात ऑनलाईन एवं ऑन लाईन जमा का हार्ड कॉपी दिया जाना होगा :—

i. निविदा के शर्त्तों एवं बंधेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर के साथ हस्ताक्षर।

ii. निविदा आवेदन पर मुहर के साथ हस्ताक्षर।

iii. निविदा देने वाले बालूघाट की कुल सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत अग्रधन की राशि Online जमा किया जाएगा एवं साक्ष्य के रूप में संबंधित बैंक का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

iv. पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित फोटोप्रति।

v. शपथ पत्र/घोषणा पत्र—निविदादाता को एक ही शपथ पत्र/घोषण पत्र (अनुलग्नक—4) देना होगा, जिसमे उल्लेख होगा कि —

(i) पूर्व में कोई बन्दोबस्ती/पट्टा/अनुज्ञप्ति लिये हों तो उनके विरूद्ध बिहार के किसी भी जिले का कोई खनन का बकाया नहीं है।

(ii) जी0एस0टी0 निबंधन नही रहने पर एक माह के अन्दर निबंधन करा लेगें।

(iii)विभाग के पूर्व के नीलामी में उच्चतम डाकवक्ता घोषित होने के बाद आगे की कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण नीलामी को रद्द करते हुए अग्रधन/प्रतिभूति राशि जप्त नहीं की गई है।

(iv)यदि खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के या अन्य संबंधित विभागों/प्राधिकारों के किसी भी नियमों एवं निर्देश के उल्लंघन की स्थिति में दंड अधिरोपित किये जाने की स्थिति में उसका भुगतान किया जाएगा।

(v) निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व समूह में सम्मिलित बालूघाटों का मौके पर निरीक्षण कर लिया है एवं बालूघाटों के सभी सुसंगत पहलुओं जैसे कि पहुंच मार्ग, खदानों में उपलब्ध खनिज की मात्रा आदि का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से सतुष्ट हो लियें हैं। पहुंच मार्ग से संबंधित समस्याओं का समाधान अपने खर्चा पर स्वयं करूँगा एवं इसमें किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में निगम से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करूँगा।

(vi)निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही औपचारिकताओं की पूर्ति करके बालूघाटों का संचालन किया जाएगा, तथा निर्धारित समय–सीमा अन्तर्गत देय/नीलामी राशि का भुगतान किया जाएगा।

(vii) बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन्, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथासंशोधित, 2021 का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया हूँ एवं उनका पालन सावधानी पूर्वक करूँगा।

(viii) अनुबंध के निष्पादन करने के लिए अपेक्षित Stamp duty and Registration fee का वहन मेरे द्वारा किया जाएगा।

(ix)मेरी फर्म/पार्टनरशिप फर्म/एलएलपी/कंपनी/सोसायटी/दिवालिया/काली सूची में दर्ज नहीं है।

(x) शपथ/घोषना पत्र की घोषणाएँ मेरे उपर पूर्णरूपेण लागू होगी।

(xi)यदि अनुबंध के निष्पादन पूर्व अथवा पश्चात में किसी भी समय यह आलोक में आता है कि मेरे पास निविदा प्रस्तु करने हेतु वांछनीय अर्हता नहीं है तो मुझे आयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि मेरे/हमारे द्वारा गलत बयानी या गलत जानकारी के आधार पर ठेका प्राप्त कर लिया गया है तो मेरा/हमारा ठेका निरस्त हो जाएगा। यदि मेरे/हमारे पक्ष में आशय पत्र जारी किया जा चुका हो या मेरे/हमारे द्वारा अनुबंध निष्पादित कर दिया गया हो तो गलत बयानी गलत जानकारी के लिए लिखित में सूचना द्वारा मेरा/हमारा कार्यादेश/अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। ऐसे निरस्तीकरण के फलस्वरूप मेरी/हमारी प्रतिभूति राशि एवं अन्य राशि जप्त की जा सकती है तथा लागू विधियों या प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कोई अन्य कार्यवाही करने

का अधिकार भी होगा। निरस्तीकरण के कारण मुझको/हमको हुई किसी भी हानि के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

(xii) सौंपे गये कार्यों को निर्धारित नियमों एवे निदेश के अनुरूप करूँगा। मेरे द्वारा किसी भी निर्धारित शर्त/बंधेज/नियमों/निदेश का उल्लंघन करने पर यदि निगम पर कोई दंड अधिरोपित किया जाता है, तो उसका भुगतान मेरे द्वारा किया जाएगा।

(xiii) बैंक स्टेटमेंट तीन माह का एवं पर्याप्त बैंक बैलेंस का प्रमाण।

(xiv) मेरे विरुद्ध संज्ञेय अपराध का कोई मुकदमा दर्ज नही है और न ही मैं ऐसे किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हूँ।

(xv) मेरे परिवार का कोई भी सदस्य खनन विभाग या निगम में कार्यरत नहीं है।

vi. **आचरण प्रमाण–पत्र** :– आवेदक (निबंधित कम्पनीयॉ, पार्टनरशीप, सोसाईटी, सहकारी संस्था के प्रमोटर तथा सोल प्रोपराईटर्स एवं व्यक्तियों) को डी0एम0/एस0पी0/एस0डी0एम0 द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र देना होगा। उक्त चरित्र प्रमाण में यह भी स्पष्ट उल्लिखित होना चाहिए कि आवेदक के विरूद्ध कोई संज्ञेय अपराध दर्ज नहीं है और उसका अच्छा नैतिक चरित्र है।

vii. फर्म/प्राईवेट लि0 कम्पनी के मामले में अद्यतन लेखा (Balance sheet)।

viii. समिति के मामले मे अंकेक्षण रिपोर्ट।

ix. **Chartered Accountant द्वारा सत्यापित वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के वित्तीय विवरणी। (व्यक्ति विशेष के मामले में जिनका टर्नओवर प्रति वित्तीय वर्ष 2 करोड़ या उससे कम हो एवं शुद्ध मुनाफा की गणना 8% या उससे अधिक की गई हो के मामलें में chartered Accountant से Books of Account (Profit & Lossसहित) को सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं होगी (Assessment Year के अनुसार नहीं)।**

x. वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 का आयकर रिटर्न स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति **(Assessment Year के अनुसार नहीं)।**

xi. दो स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का फोटो।

xii. समिति के मामले में उप नियम (Bye-laws) और कम्पनी के मामले में मेमोरेण्डम (Memorandum) की प्रति। साझेदारी के मामले में साझेदारी के दस्तावेज की प्रति।

xiii. बैंक स्टेटमेंट– तीन माह का एवं पर्याप्त बैंक बैलेंस का प्रमाण।

xiv. आधार कार्ड – स्वअभिप्रमाणित।

नोट :– तकनीकी निविदा की जाँच के लिए ऑनलाईन अपलोडेड कागजात ही मान्य होगा।

3. <u>बालूघाट/क्लस्टर की संचालन हेतु नीलामी के शर्त्ते एवं बंधेज :–</u>

बालूघाट/क्लस्टर की संचालन के लिये नीलामी के शर्त्त एवं बंधेज, बालूघाट/क्लस्टर की विवरणी, निविदा–सह–नीलामी की प्रक्रिया, पात्रता एवं भुगतान की प्रक्रिया का विस्तृत विवरणी–ई0प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.eproc2.bihar.gov.in निम्नवत् है:–

(i) बालूघाट/क्लस्टर के लिये अलग–अलग निविदा कागजात का क्रय करना होगा एवं निविदा देनी होगी ।

(ii) बालूघाट/क्लस्टर का संचालन के लिए ठेकेदारों/संवेदको का चुनाव ई–निविदा–सह–नीलामी प्रक्रिया द्वारा की जायेगी।

(iii) निविदा में भाग लेने के लिये निविदादाता का विगत् तीन वर्षों का औसत Annual Turnover उस बालूघाट के सुरक्षित जमा राशि के 25 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिये।

4. <u>पात्रता और बीड कैपीसिटी:</u>– निबंधित कम्पनीयॉ, पार्टनरशीप, सोसाईटी, सहकारी संस्था सहित, सोल प्रोपराईटरशीप, व्यक्तियों और दो ऐसी संस्थाओं के भागीदार निम्नलिखित पात्रता मानदण्डों को पूरा करने के अधीन रहते हुए पात्र होगें :–

(i) भारत का नागरिक होना।

(ii) पैन कार्डधारी होना।

(iii) जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र का होना।

(iv) पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20) के दौरान बीडर का औसत वार्षिक टर्नओभर उसके द्वारा बीड किये गये बालूघाट/क्लस्टर के सुरक्षित मूल्य के 25 प्रतिशत् से कम नही होना चाहिए। भागीदारी की दशा में, सभी सदस्यों के संयुक्त तकनीकी और वित्तीय क्षमता पर पात्रता के लिए विचार किया जाएगा।

(v) आवेदक (निबंधित कम्पनीयॉ, पार्टनरशीप, सोसाईटी, सहकारी संस्था के प्रमोटर तथा सोल प्रोपराईटर्स एवं व्यक्तियों) को डी0एम0/एस0पी0/एस0डी0एम0 द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र देना होगा। उक्त चरित्र प्रमाण में यह भी स्पष्ट उल्लिखित होना चाहिए कि आवेदक के विरूद्ध कोई संज्ञेय अपराध दर्ज नहीं है और उसका अच्छा नैतिक चरित्र है।

5. <u>निविदा देने की प्रक्रिया :–</u>

केवल ऑन लाईन पद्धति ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.eproc2.bihar.gov.in,

6. <u>निविदा के कागजात/राशि</u>

(i) निविदा देने वाले को कुल सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत राशि (Earnest Money) अग्रधन के रूप में online देना होगा।

(ii) शपथ पत्र/घोषणा पत्र (अनुलग्नक–4)–

(iii) निविदादाता को GST निबंधन प्रमाण–पत्र जमा करना होगा।

(iv) जिलापदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र। आचरण प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट अंकित होना चाहिये कि उनके विरूद्ध संज्ञेय अपराध का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और उसका अच्छा नैतिक चरित्र है।

(v) निविदादाता का Registred Chartered Accountantद्वारा सत्यापित विगत वर्ष–2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के Annual Accounts (Profit & Loss Account सहित) संलग्न करना होगा (व्यक्ति विशेष के मामले में जिनका टर्नओवर प्रति वित्तीय वर्ष 2 करोड़ या उससे कम हो एवं शुद्ध मुनाफा की गणना 8% या उससे अधिक की गई हो के मामलें में chartered Accountant से वित्तीय विवरणी को सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं होगी)।

(vi) स्वअभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज के फोटो ।

(vii) समिति के मामले में उप–नियम (Bye-laws) और कम्पनी के मामलों में मेमोरैन्डम (Memorandum) की प्रति दाखिल करनी होगी। साझेदारी फर्म (Partnership Firm) के मामले में साझेदारी के दस्तावेज की प्रति जमा करनी होगी।

(viii) निविदादाता को विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन के साथ निविदा के सभी कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर के साथ हस्ताक्षर करके हार्ड कॉपी में भी बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लि0, पटना के कार्यालय में जमा करना होगा।

(ix) निविदादाता इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा विभाग के पूर्व के नीलामी में उच्चतम डाकवक्ता घोषित होने के बाद आगे की कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण नीलामी को रद्द करते हुए अग्रधन/प्रतिभूति राशि जप्त नहीं की गई है।

(x) निविदादाता इस आशय का शपथ पत्र देना होगा यदि खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, किसी भी नियम एवं निर्देश के उल्लंघन की स्थिति में दंड अधिरोपित होने पर उसका भुगतान किया जाएगा।

7. <u>बालूघाट/क्लस्टर का संचालन हेतु ई–नीलामी की प्रक्रियाः</u>–

(क) कोई व्यक्ति/निबंधित कंपनी/पार्टनरशीप/सोसाईटी/सहकारी संस्था सहित को अधिकतम दो बालूघाट/क्लस्टर अथवा 200 हेक्टेयर क्षेत्र, जो भी कम हो (सोन, फल्गु, मोरहर, कियूल एवं चानन) के संचालन के लिए ई–नीलामी की प्रक्रिया द्वारा अनुमति दी जाएगी।

(ख)(i) बालूघाट/क्लस्टर के संचालन के लिए ठेकेदार/संवेदक का चयन उच्चतम बीडर के पक्ष में ई0–निविदा–सह–नीलामी (e-tendering-cum-auction) के माध्यम से उन निविदादाताओं के बीच से की जाएगी जिनकी तकनीकी बीड निविदा दस्तावेजों में वर्णित पात्रताओं की शर्त्तों के अनुसार, तकनीकी रूप से उपयुक्त पाई जाएगी।

(ii) नीलामी के 04 कार्य दिवसों के अन्दर नीलामी राशि के 25 प्रतिशत् का भुगतान, प्रतिभूति राशि, (इस प्रयोजनार्थ अग्रधन समायोजन योग्य है) RTGS के माध्यम से बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लि0 के खाता में जमा कराना होगा।

(iii) अग्रधन की राशि का भूगतान ऑनलाईन तथा प्रतिभूति जमा और नीलामी की किस्तों का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा, जो–

(क) किसी व्यक्ति की दशा में, ऑनलाईन राशि अंतरण अपने स्वयं के बैंक खाते से किया जाएगा।

(ख) भागीदारी फर्म की दशा में ऑनलाईन राशि अंतरण संबंधित फर्म अथवा उसके भागीदारों के बैंक खाते से किया जाएगा।

(ग) कंपनी की दशा में ऑनलाईन राशि अंतरण संबंधित कंपनी अथवा उसके प्रबंध निदेशक या उसके संबंधित निदेशकों के खाते से किया जाएगा।

(v) आवेदक/संवेदक/ठेकेदार द्वारा वर्त्तमान अद्यतन तीन माह का खाताधारक के बैंक खाता विवरणी की प्रति के साथ बैंक द्वारा निर्गत इस प्रभाव का एक प्रमाण–पत्र जमा करेगा।

(vi) अपेक्षित दस्तावेजों को जमा करने और अपेक्षित रकम के भुगतान के बाद भी कार्य–आदेश उच्चतम बीडर के पक्ष में निर्गत किया जाएगा।

(vii) संवेदक/ठेकेदार बालूघाट/क्लस्टर के संचालन अवधि के दौरान नियमों/निविदा दस्तावेज के अधीन किये गये प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण खनन एवं अन्य करों का भुगतान करेगा।

8. सफल निविदादाता का चयन

(i) जो व्यक्ति /समिति/फर्म/कम्पनी तकनीकी निविदा में सफल होंगे, सिर्फ उन्हीं निविदादाताओं को ई–नीलामी में भाग लेने का मौका दिया जायेगा। ई–नीलामी में जो उच्चतम डाकवक्ता होंगे वही सफल निविदादाता माने जायेंगे ।

(ii) उच्चतम निविदादाता/डाकवक्ता द्वारा बालूघाट/क्लस्टर की संचालन करने से इन्कार की स्थिति में या निर्धारित अवधि में अन्य औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करने पर उनका अग्रधन(earnest money) जब्त कर लिया जायेगा। साथ ही उन्हें राज्यान्तर्गत आगामी पाँच वर्षो के लिए ई–नीलामी में भाग लेने से वंचित करते हुए काली सूची में डाल दिया जाएगा।

(iii) एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर एकल निविदादाता के पक्ष में बालूघाटों के संचालन हेतु LOI/कार्यादेश निर्गत की जा सकेगी।

9. **बालूघाट/क्लस्टर की संचालन की अवधि– माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के सिविल अपील सं0– 3661–3662/2020 में दिनांक– 10.11.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में माननीय उच्चतम न्यायालय के अगले आदेश या दिनांक– 31.03.2022, जो भी पहले हो तक होगी।**

10. <u>चयन के बाद संवेदकों द्वारा पूरी की जाने वाली औपचारिकताएँ :–</u>

(i) बालूघाटों/क्लस्टर का संचालन हेतु संवेदक/ठेकेदार का चयन ई–नीलामी द्वारा सफल डाकवक्ता को सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि (बोली की राशि का 25 प्रतिशत्) बोली/किस्त राशि, अन्य कर का भुगतान (अग्रधन की राशि को समायोजित करते हुए) नीलामी की तिथि से **04 कार्य दिवस** के अन्दर करना होगा।

(ii) **खनन योजना**:–बालूघाट/क्लस्टर से खनन्/प्रेषण के लिए अनुमोदित खनन् योजना के सभी शर्तो एव बधेजो का पालन संवेदक/ठेकेदार को करना पड़ेगा।

(iii) संवेदक/ठेकेदारो की चयन के बाद सभी बालूघाट/क्लस्टर के लिये बालू के उत्तोलन कार्य में संलग्न सभी सहयोगी कर्मियों की सूची, पूर्ण पता एवं फोटो के साथ एक सप्ताह के अन्दर बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन एवं संबंधित जिला खनन् कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

(iv) प्रथम डाकवक्ता द्वारा किसी कारणवश बालूघाट/क्लस्टर के ठिकेदारी लेने में असफल रहने पर उनके द्वारा जमा अग्रधन एवं सम्पूर्ण राशि जप्त करते हुये पुनः नये सिरे से नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्हें राज्यान्तर्गत आगामी **पाँच वर्षो** के लिए ई–नीलामी में भाग लेने से वंचित करते हुए काली सूची में डाल दिया जाएगा।

11. <u>GST का भुगतान</u> :–

संवेदक/ठेकेदारो को जी0एस0टी0 के रूप में राशि बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को भुगतान करना होगा। बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में जी0एस0टी0 भुगतान प्रत्येक किस्त के साथ देना होगा।

12. <u>आयकर एवं अन्य करों का भुगतान</u>:–

संवेदक/ठेकेदार को आयकर अधिनियम के तहत आयकर एवं उस पर नियमानुसार देय अधिभार का भुगतान आयकर विभाग के प्रचलित दर के अनुसार एक मुश्त करना होगा। यह राशि प्रत्येक किस्त के साथ देय होगी।

13. **जिला खनिज फाउन्डेशन**

सफल डाकवक्ता को नीलामी राशि का 02 प्रतिशत राशि संबंधित जिला खनिज फाउण्डेशन मद में संबंधित जिला पदाधिकारी के पदनाम से भुगतेय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली, 2018 के अनुसार किस्त के साथ ही निगम में जमा करना होगा।

14. **भुगतान की शर्तेः–**

(i) आवेदक अपनी निविदा दस्तावेज के साथ प्रतिभूति के रूप में ऑनलाईन के माध्यम से सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत् नीलामी की तिथि से चार (04) कार्यदिवस के अन्दर जमा करेगा।

(ii) प्रतिभूति जमा के अलावे संवेदक/ठेकेदार नीलामी की अनुबंधित राशि का भुगतान का 50 प्रतिशत के समतुल्य राशि तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का पोस्ट डेटेड चेक (द्वितीय किस्त के रूप में 31.01.2022 को निगम के खाते में भुगतान हेतु) DMF, आयकर, स्टाम्प शुल्क, GST, शपथ पत्र एवं अन्य वांछित कागजात आदि नीलामी तिथि से चार (04) कार्य दिवस के अन्दर कार्यादेश निर्गत होने के पूर्व करेगा। यदि बैंक में प्रस्तुत किया गया पोस्ट डेटेड चेक का भुगतान निगम के खाता में किसी कारण से (चेक बाउंस सहित) नहीं हो पाता है, तो संवेदक के बालूघाट का उत्पादन एवं प्रेषण automatic system द्वारा बंद कर दिया जाएगा एवं चेक बाउंस के लिए मुकदमा एवं IPC की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दायर की जा सकती है।

(iii) अगर संवेदक अनुबंधित राशि का भुगतान निर्धारित समय के अन्दर जमा करने में विफल रहते हैं तो उनके द्वारा जमा अग्रधन/प्रतिभूति को जप्त कर लिया जाएगा तथा निगम द्वारा राज्य के किसी भी जिले के लघु खनिज के नीलामी के लिए अयोग्य घोषित करते हुए निगम में उनके निबंधन को रद्द कर काली सूची में दर्ज कर दिया जाएगा।

(iv) संवेदक/ठेकेदार जी0एस0टी0, आयकर, स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान भी संबंधित विभाग की अद्यतन अधिसूचना के अनुसार करेगा। संवेदक/ठेकेदार डी0एम0एफ0 को बिहार डी0एम0एफ0 नियमावली, 2018 के अनुसार भुगतान करेगा।

(v) संबंधित विभाग के निदेश पर अतिरिक्त राशि का भुगतान सुनिश्चित करना होगा।

15. **प्रतिभूति जमा और खनन कार्य आरंभ करनाः–** भुगतान किये जानेवाला प्रतिभूति जमा अनुबंद्ध राशि का 25 प्रतिशत् होगी। प्रतिभूति राशि एकरारनामें की अवधि या कार्य समाप्ति के पश्चात् अधिरोपित हुए दंड का बकाया नहीं रहने के स्थिति में बकाया का समायोजना के पश्चात ही वापस की जा सकेगी।

16. **अनुबंध विलेख (डीड) निष्पादन करनाः–** सफल निविदादाता से निर्धारित अवधि के लिए बालू खनन करने हेतु एकरारनामा कार्यादेश के निर्गत की तिथि को ही किया जाएगा। सफल बीडर विहित प्रपत्र में एकरारनामा विलेख संबंधित नियम अथवा उसके समरूप एक प्रपत्र में प्रचलित स्टाम्प शुल्क के साथ निष्पादित करेगा।

17. संवेदक/ठेकेदार को निष्पादित संविदा का निबंधन 15 दिन के अन्दर कराना अनिवार्य होगा।

18. **बालू का विक्रय मूल्यः–**

अंतिम उपयोगकर्त्ता अथवा आम जन हेतु बालू का मूल्य बाजार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। बालू बिक्री के क्रम में कालाबाजारी का साक्ष्य प्राप्त होने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

19. **आवश्यक अनापत्ति प्राप्त करने के शुल्क का भुगतान** :– संवेदक/ठेकेदार को सभी अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई एवं आवश्यक अनापत्ति प्राप्त करने में निगम द्वारा व्यय की गई राशि का भुगतान करना होगा।

20. **बालू खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रः–** बालू खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र प्रभावी नियमों के अनुसार होगें।

21. <u>बालू खनन की अधिकतम गहराई:—</u>नदी तल में खनन की अधिकतम गहराई उस समय बिना खुदाई वाले तल स्तर से अथवा जल स्तर जो भी कम हो, से 3 मीटर से अधिक नही होगी। उत्खनन के दौरान निर्मित सभी ऐसे गड्ढे नियमित अंतराल (मासिक/त्रैमासिक) पर समतलीकरण करना होगा।

22. <u>पर्यावरणीय अनापत्ति:</u>— संवेदक को पर्यावरणीय स्वीकृति/पर्यावरण मार्गदर्शिका में उल्लेखित शर्तो एवं बंधेजो का पालन अनिवार्य होगा। संवेदक द्वारा शपथपत्र भरकर (जिसमें EC की सभी शर्त्तों/बंधेज उल्लेखित हो) जमा रहेगा। उल्लंघन के स्थित में अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर कार्यादेश प्रतिसंहृत करते हुए नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई किया जाएगा।

23. **ऑनलाईन बालू पोर्टल**— संवेदक/ठेकेदार सभी उपभोक्ताओं को बालू का विक्रय ऑनलाइन मोड के माध्यम से करेगा। सभी संव्यवहार/भुगतान, उत्खनन/उत्पादन/परिवहन का ब्यौरा विभागीय ऑनलाइन रीयल टाइम मोनिटरिंग सिस्टम द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा। बालू का विक्रय इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजीकरण, जो केन्द्रीय दस्तावेजीकरण अनुश्रवण सुविधा से जुड़ा रहेगा, से नियंत्रित किया जाएगा और संवेदक/ठेकेदार द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभागीय पोर्टल पर डाला जाएगा।

24. **बालू का परिवहन:**— बालू ढोने वाले सभी वाहनों (निबंधित नाव सहित) को बालू के परिवहन के लिए विभाग में निबंधित कराना होगा। सभी निबंधित वाहनों को जी0पी0एस0 (जो विभागीय पी0एम0यू0 से सम्बद्ध हो सके) लगाना होगा जिसका विभागीय ऑनलाइन रीयल टाइम मोनिटरिंग किये जाने की व्यवस्था की जा सकती है।

25. बालू ढोने वाले सभी वाहन बालू के परिवहन के लिए आवश्यक रूप से ई—चालान साथ रखेगें।

26. **डिसिल्टिंग का जिम्मा लेने हेतु सरकार का अधिकार:**— नदी का प्रवाह, बाँधों की सुरक्षा तथा जीओ तकनीक (Geo-technique) एवं जल वैज्ञानिक विचारण के चलते नदियों का परिवेश बनाए रखने के लिए डिसिल्टेशन का अधिकार सरकार अपने पास आरक्षित रखती है।

27. **बालू—परिवहन विनियमित करने की शक्ति:**— बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राज्य से अन्य राज्यों में बालू के निर्यात को नियंत्रित कर सकता है। इस क्रम में विभाग चेक पोस्ट, बैरियर धर्मकांटा इत्यादि अधिष्ठापित कर सकेगा।

यदि बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का विचार हो कि विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बालू का परिवहन एवं भंडारण के रोकने की दृष्टि से वैसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा राज्य के भीतर किसी स्थान या स्थानों पर चेक पोस्ट लगाने या बैरियर स्थापित करने अथवा दोनों के लगाने हेतु निदेश करेगा। धर्मकॉटा संवेदक को लगाना होगा या निगम द्वारा लगवाने पर प्रति वाहन निर्धारित शुल्क का भुगतान संवेदक को करना होगा।

28. **भराई का अध्ययन:**— मॉनसून के पूर्व एवं उसके पश्चात् नदी तल में बालू की मात्रा की भराई अभिनिश्चित करने के लिए अध्ययन निगम द्वारा अद्यतन उपलब्ध तकनीक का उपयोग करते हुए मान्यता प्राप्त संस्थानों/एजेंसियो के माध्यम से करवाया जाएगा। खनन कार्य पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार हो रहा है या नहीं, की जाँच ड्रोन सर्वे से कराई जा सकती है। निगम द्वारा अध्ययन/ड्रोन सर्वे क्रियान्वित किए जाने की दशा में, अध्ययन/ड्रोन सर्वे का खर्च संबंधित संवेदक/ठेकेदार से वसूल किया जाएगा।

29. **जल संसाधन विभाग से अनापत्तिः–** किसी बालू घाट से बालू उठाने की दशा में यदि कोई प्राकृतिक जलमार्ग/सिंचाई नहर लिंक रोड और बालूघाट के बीच पड़ती हो तो संवेदक/ठेकेदार जल संसाधन विभाग की अनुमति प्राप्त कर ही बालू के परिवहन के लिए अस्थायी संरचना का निर्माण कर सकेगा।

30. **शास्ति :– निविदा दस्तावेज में वर्णित शर्त एवं बंधेजों के उल्लंघन के लिए** निगम द्वारा अधिरोपित दंड का भुगतान संवेदक/ठेकेदारों द्वारा किया जाएगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में जमा राशि जप्त करते हुए कार्यादेश को प्रतिसंहृत (Revoke) कर दिया जाएगा।

31. संवेदक का दायित्व :– निविदा पत्र में वर्णित अन्य दायित्वों के अतिरिक्त निम्न दायित्वों का निर्वहन भी करना आवश्यक होगा।

(i) संवेदक/ठेकेदार को बालू के परिवहन हेतु वाहन के चालक को ऑन लाईन ई–चालान (परिवहन चालान) निर्गत करना होगा।

(ii) बालू के उत्पादन एवं प्रेषण के लिये पंजी संधारित करनी होगी। संवेदक/ठेकेदार विहित प्रपत्र में बालू के उत्पादन तथा प्रेषण से संबंधित प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक रूप से विवरणी (रिटर्न) ऑनलाईन एवं ऑफलाईन समर्पित करेगा। जाँच के दौरान यदि पंजी अद्यतन नहीं पायी जाती है तो खनन एवं प्रेषण पंजी अद्यतन होने तक के लिए बंद कर दिया जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति/क्षतिपूर्ति का दावा स्वीकार नहीं होगा।

(iii) संवेदक/ठेकेदार नदी तल से बालू प्रेषण के बिन्दु पर एक साईनबोर्ड लगाएगा जिसपर बंदोबस्तधारी (निगम) का नाम एवं पता, बंदोबस्ती की अवधि, संवेदक का नाम, पता, दूरभाष, बालूघाट का पूर्ण विवरण एवं बालू का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

(iv) संवेदक/ठेकेदार श्रम विधियों के प्रावधानों के अनुसार आश्रय गृह, पीने का पानी, शिशु गृह (क्रेचेज) तथा फर्स्ट एड किट की व्यवस्था संबंधित बालूघाटों में लगे श्रमिकों के लिए करेगा।

(v) संवेदक/ठेकेदार संबंधित क्षेत्रों का अनुश्रवण करेगा तथा स्वयं/ अथवा अपने द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से बालूघाटों का संचालन करेगा। बालूघाटों/नदी तल तक बालू के परिवहन के प्रयोजनार्थ पहुँच पथ (अप्रोच रोड) का निर्माण संवेदक/ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर स्वयं किया जाएगा।

(vi) कार्यादेश निर्गत के पूर्व नीलाम किये गये बालूघाट/क्लस्टर के बालू निक्षेप की सुरक्षा की जिम्मेदारी संवेदक/ठेकेदार की होगी एवं किसी प्रकार के अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर संवेदक/ठेकेदार की संलिप्तता मानी जाएगी एवं वे नियमानुसार दण्ड के भागी होगें।

(vii) दो जिलों/बालूघाट/क्लस्टर के बीच किसी सीमा विवाद की दशा में, उससे संबंधित जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में सक्षम पदाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय संवेदक/ठेकेदारों को मान्य होगा।

(viii) संवेदक/ठेकेदार द्वारा पर्यावरण से संबंधित वर्ष 2016/2020 के सतत् बालू खनन प्रबंधन मार्गदर्शन/मार्गदर्शिका/पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप खनन कार्य करेगा।

(ix) महिला श्रमिकों से सूर्यास्त के बाद कोई कार्य नही लिया जायेगा।

(x) बालू लदे सभी वाहनों को तारपोलिन से ढककर बालू का परिवहन करना अनिवार्य होगा।

(xi) संवेदक/ठेकेदार को धर्मकॉटा की स्थापना या धर्मकॉटा से सम्बद्ध (Tag) आवश्यकतानुसार निगम के निदेश पर करना होगा एवं इस संबंध में निगम द्वारा निर्गत निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(xii) खनिज की अनुपलब्धता, मार्ग व्यवधान, सीमाना से संबंधित कोई व्यवधान अथवा अन्यान्य कारण से उत्तोलन में बाधा उत्पन्न होने पर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्त्ति देय नहीं होगा।

(xiii) संवेदक/ठेकेदार वाहनों में सूखा बालू लादने की व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि बालू ढोने वाले वाहनों से सड़क पर पानी नही टपके।

(xiv) खनन की गई बालू की 25 प्रतिशत मात्रा राज्य के विभिन्न जिलों के निगम द्वारा चिन्हित K-Licenses को देना अनिवार्य होगा, यदि उनकी मांग है तो। निगम द्वारा बंधेज परिवर्तित किया जा सकता है।

(xv) बालूघाट/क्लस्टर का संवेदक/ठेकेदार खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथासंशोधित, 2021 के सुसंगत प्रावधानों तथा उसमें किये गये संशोधनों तथा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों का अनुपालन करेगा। संवेदक/ठेकेदार पर यह भी बाध्यकारी होगा कि अन्य सुसंगत अनिधिनियमों तथा नियमावलियों के प्रावधानों का पालन करेगें।

(xvi) संवेदक/ठेकेदार बालूघाट/क्लस्टर क्षेत्र के भीतर किसी अवैध खनन के लिए पूर्णतया जिम्मेवार होगें और पाई गई किसी शिकायत, यदि कोई हो, पर गंभीरता से विचार किया जाएगा तथा संवेदक/ठेकेदार के विरूद्ध गुण–दोष के आधार पर अपराधिक मामला भी दायर किया जा सकता है।

(xvii) संवेदक/ठेकेदार बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लि0 द्वारा बालूघाटों के संचालन के संबंध में लोकहित में जारी निर्बंधनों और शर्त्तों तथा निदेशों का पालन करेगा।

(xviii) उपर्युक्त शर्त्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में पृच्छा निर्गत कर अनुबंध रद्द करने की कार्रवाई की जा सकेगी ।

(xix) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन द्वारा सरकार के हित में, सुनवाई का मौका देकर तर्कसंगत आदेश पारित करते हुये निविदा एवं बालूघाट/कलस्टर के संचालन को रद्द करने का अधिकार होगा।

(xx) संवेदक/ठेकेदार को खनन राजस्व/जी0एस0टी0/आयकर/स्टाम्प शुल्क/रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान ससमय नही करने की दशा में बकाए का भुगतान करने तक के लिए प्रेषण बंद कर दिया जाएगा। इस कम में बालू का खनन/प्रेषण नहीं होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में बिहार स्टेट माईनिंग कॉरपोरेशन लि0 को या सरकार को हुए क्षति की भरपायी संवेदकों से की जाएगी।

(xxi) निविदादाता निविदा में भाग लेने के पूर्व अक्षांश–देशांतर (Latitude & Longitude) के आधार पर तैयार किये गए नदी में बालूघाट/क्लस्टर क्षेत्रों में बालू की उपलब्धता, बालू निकासी हेतु परिवहन

मार्गों, जल संसाधन विभाग के नदी में प्रतिबंधित क्षेत्रों तथा अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों के आलोक में अपने स्तर से निरीक्षण कर पूर्ण रुप से संतुष्ट हो लेंगें। इस आशय का शपथ पत्र/घोषणा पत्र **(अनुलग्नक–4)** भी जमा करेंगे। बालूघाटों/क्लस्टर की विवरणी अनुलग्नक–2 के अनुसार होगी। नीलामी के पश्चात किसी प्रकार का कोई आपत्ति/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(xxii) नीलामी हेतु प्रस्तावित बालूघाटों से संबंधित तकनीकी तथा अन्य बिन्दुओं यथा भूमि के अंचल, थाना, मौजा, खाता, खेसरा, रकबा तथा GPS Co-ordinate के संबंध में विवाद/त्रुटि पाए जाने पर संशोधन संबंधित जिला खनन कार्यालय की जाँच एवं अनुशंसा के आधार पर सक्षम प्राधिकार का निर्णय मान्य होगा। बालूघाटों/क्लस्टर का सीमांकन GPS Co-ordinate के अनुसार बालू संवेदक/ठेकेदार को कराना होगा तथा खनन के क्रम में संधारित कराना संवेदक/ठेकेदार की जवाबदेही होगी, जिसके लिए निगम द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी/RQP की उपस्थिति में प्रमाणित कराकर खनन कार्य कराना होगा।

(xxiii) बालू संवेदक/ठेकेदार को बालू लदे भारी वाहनों का परिवहन जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों एवं बांधो पर निर्मित प्रतिबंधित मार्ग प्रवेश निषेध होगा।

(xxiv) बालूघाट में रैयती/बंदोबस्त जमीन होने पर संवेदक/ठेकेदार द्वारा रैयत से सहमति प्राप्त कर बालू का खनन करना होगा।

(xxv) संवेदक/ठेकेदार द्वारा केवल GPS युक्त वाहन जिसका Integration विभागीय PMU के चालान System से करा लिया गया है, के द्वारा ही बालू का प्रेषण करेंगे।

32. प्रबंध निदेशक BSMC द्वारा पूर्ण/आंशिक निविदा या किसी बालूघाट/कलस्टर के ई–निविदा/ई–नीलामी को बिना कारण बताये कभी भी स्थगित/रद्द करने का अधिकार होगा।

****

अनुलग्नक--2

नीलामी हेतु बालूघाट/क्लस्टर की विवरणी

जिला :– ....

क्रमांक	आवेदक का नाम एवं पता	बालूघाट/क्लस्टर की विवरणी	सुरक्षित जमा राशि	अभ्युक्ति।
1	2	3	4	5

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम–
मोहर–

नोटः–*निविदादाता प्रकाशित निविदा में वर्णित बालूघाट/क्लस्टर में से जिस/जिन बालूघाट/क्लस्टर के लिए निविदा देने हेतु इच्छुक है सिर्फ उसी को भरकर निविदा प्रपत्र अपलोड करेगें।*

अनुलग्नक–3

बालूघाट/क्लस्टर के संचालन हेतु नीलामी द्वारा संवेदक चयन के लिए निविदा का प्रपत्र

(निविदादाता अपने लेटर–हेड अथवा सादा कागज का प्रयोग करें।)

व्यक्ति का फोटो (व्यक्ति विशेष को छोड़कर अन्य मामले में प्रबंधक/मैनेजिंग पार्टनर का फोटो)

1. निविदादाता का नाम (समिति या प्राईवेट लि0 कम्पनी या फर्म के मामले में प्रबंधक/अधिकृत हस्ताक्षर करने वालो का नाम) :
2. पिता का नाम (समिति या प्राईवेट लि0 कम्पनी या फर्म के सचिव/प्रबंधक/अधिकृत हस्ताक्षर करने वाले के पिता का नाम) :
3. पत्राचार का पता :
4. ई–मेल :
5. स्थायी पता :
6. सम्पर्क हेतु दूरभाष सं0 : (कार्या0) (आ0)
   (मो0)
7. पैन कार्ड संख्या (कृपया स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति सलग्न करें) :
8. घोषणा–पत्र/शपथ–पत्र (अनुलग्नक–4)
8. Chartered Accoutant द्वारा सत्यापित वित्तीय वर्ष–2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 Annual Accounts(Profit and Loss Account सहित) की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें (व्यक्ति विशेष के मामले में जिनका टर्नओवर प्रति वित्तीय वर्श 2 करोड़ या उससे कम हो एवं शुद्ध मुनाफा की गणना 8% या उससे अधिक की गई हो के मामलें में chartered Accountant से Books of Account (Profit & Loss सहित) को सत्यापित कराने की आव कता नहीं होगी)। :
9. स्वअभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साईज फोटों :
10. वित्तीय वर्ष–2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 का आयकर रिटर्न :
11. जिलापदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/ अनुमंडल पदाधिकारी द्वारानिर्गत आचरण प्रमाण–पत्र (स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें) :

12. समिति / फर्म / प्राईवेट लि0 कम्पनी के मामले में अद्यतन अंकेक्षण रिपोर्ट :

13. मेमोरेण्डम / आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन / उप नियमः (कृपया संलग्न करें)(व्यक्ति विशेष को छोड़कर अन्य के मामले में)

14. साझेदारी फर्म के मामले में साझेदारी दस्तावेज की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। :

15. जिला का नाम :

16. बालूघाट ईकाई का विवरण जिसके लिये निविदा दी जा रही है। :

17. सुरक्षित जमा राशि :

18. अग्रधन की राशि (सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत) :

19. निविदादाता के बैंक खाता से ऑनलाईन भुगतान से संबंधित साक्ष्य। :

तिथि–

नाम एवं हस्ताक्षर

****

अनुलग्नक–4

शपथ पत्र/घोषणा पत्र।

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी.................................पिता/पति श्री..मालिक/साझेदार/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता...................................निवासी ....जिला.......................... जिसको निविदादाता कहा गया है, आज दिनांक–.............................. को शपथपूर्वक बयान/घोषणा करता हूँ कि:–

1. निविदादाता ने बालूघाटों/कलस्टरों के संबंधि में निविदा दस्तावेज में अधिकथित की गई शर्तो को............ बालूघाट/कलस्टर की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व पढ़ लिया है या समझ लिया है और यह स्वीकार करता हूँ कि निविदादाता उक्त शर्तो में से किसी शर्त के बारे में अज्ञानता व्यक्त करने का हकदार नहीं होगा।
2. निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व समूह में सम्मिलित बालूघाटों का मौके पर निरीक्षण कर लिया है एवं बालूघाटों के सभी सुसंगत पहलुओं जैसे कि पहुंच मार्ग, खदानों में उपलब्ध खनिज की मात्रा आदि का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से सतुष्ट हो लियें हैं। पहुंच मार्ग से संबंधित समस्याओं का समाधान अपने खर्चा पर स्वयं करूँगा।
3. खनन योजना/EC के शर्तों के अनुसार खनन होने के अध्ययन/ड्रोन सर्वे से पर्यवेक्षण, निगम द्वारा चिन्हित धर्मकॉटा पर वजन का प्रति वाहन भुगतान निगम द्वारा निर्धारित दर पर करूँगा।
4. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही औपचारिकताओं की पूर्ति करके बालूघाटों का संचालन किया जाएगा, तथा निर्धारित समय–सीमा अन्तर्गत देय/नीलामी राशि का भूगतान किया जाएगा।
5. मैं, बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन्, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथासंशोधित, 2021 एवं अद्यतन मार्गदर्शन 2020 का पूर्ण रूप से अध्ययन कर समझ लिया हूँ एवं उनका पालन करूँगा।
6. अनुबंध के निष्पादन करने के लिए अपेक्षित Stamp duty and Registration fee का वहन मेरे द्वारा किया जाएगा।
7. GST का भुगतान प्रचलित दर से करूँगा।
8. मेरे विरूद्ध बिहार के किसी भी जिले में खनन स्वामिस्व या अन्य कोई बकाया नहीं है। यदि कोई बकाया अंकेक्षण आपत्ति के कारण होगी, तो मेरे द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा।
9. मैं मेरी फर्म/पार्टनरशिप फर्म/एलएलपी/कंपनी/सोसायटी/दिवालिया/काली सूची नहीं है।
10. मेरा कोई रिस्तेदार खनन विभाग/निगम में कार्यरत नहीं है (यदि है, तो जानकारी संलग्न करें)।
11. मेरे द्वारा दिया गया शपथ की घोषणाएँ मेरे उपर पूर्णरूपेण लागू होगी एवं मुझे मान्य होगी।
12. यदि अनुबंध के निष्पादन पूर्व अथवा पश्चात में किसी भी समय यह आलोक में आता है कि मेरे पास निविदा प्रस्तु करने हेतु वांछनीय अर्हता नहीं है तो मुझे आयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि मेरे/हमारे द्वारा गलत बयानी या गलत जानकारी के आधार पर ठेका प्राप्त कर लिया गया है तो मेरा/हमारा ठेका निरस्त हो जाएगा। यदि मेरे/हमारे पक्ष में आशय पत्र जारी किया जा चुका हो या मेरे/हमारे द्वारा अनुबंध निष्पादित कर दिया गया हो तो गलत बयानी य गलत जानकारी के लिए लिखित में सूचना द्वारा मेरा/हमारा कार्यादेश/अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। ऐसे निरस्तीकरण के फलस्वरूप मेरी/हमारी प्रतिभूति राशि एवं अन्य राशि जप्त की जा सकती है तथा लागू विधियों या प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कोई अन्य कार्यवाही करने का अधिकार भी होगा। निरस्तीकरण के कारण मुझको/हमको हुई किसी भी हानि के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

तारीख:–
स्थान:–

निविबादाता के हस्ताक्षर
नाम...............................
पता...............................
मो0नं0...............................
ई–मेल...............................